

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.),
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.),
वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- सागर जिले के अन्तर्गत कडान मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 248.76 हेक्टेयर
वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र
क्रमांक/8-11/2018-FC दिनांक 19.03.2018

—0—

महोदय,

विषयांतर्गत में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गयी जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर एवं इस कार्यालय से वेबपोर्टल पर अपलोड कर निम्नानुसार संलग्न है:-

(i)- The State government/User Agency have not submitted a copy of Approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan with the estimated cost of the plan.

कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT) की प्रति संलग्न है।

(ii)- The recommendations of the CCF, PCCF (Nodal officet) & Principal Secretary (Forests) has not been submitted in original with official seal and the sam is required to be uploáded on the forest clearance web portal in respect of said project.

मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, सचिव वन, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा की गयी अनुशंसा की मूल प्रतियां संलग्न है। प्रस्ताव के वन भाग-(iii), भाग-(iv) एवं भाग-(v) में अधिकारी का नाम तथा पद अंकित है। उक्त अनुशंसाओं को वेबपोर्टल पर प्रस्ताव के भाग-2 के बिन्दु क्रमांक-13 के नीचे अतिरिक्त टेबल में बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 में अपलोड की गयी है।

(iii)- The User Agency has not provided the shape file/KML of the CA for plantation and boundary of proposed forest.

प्रभावित वन भूमि की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि की shape file/KML प्रस्ताव के भाग-1 में बिन्दु L पर 07 पैचेस में अपलोड है। यह भाग-2 के बिन्दु 13(i) में भी अपलोड है।

(iv)- The purpose wise breakup of the forest land proposal for diversion has not been given.

प्रभावित वन भूमि का ब्रेकप संलग्न है। प्रकरण में चाही गयी 248.76 हेक्टेयर वनभूमि में से 6.90 हेक्टेयर बांध हेतु तथा शेष 241.86 हेक्टेयर डूब में आवेगी।

(v)- The User Agency has not submitted undertakings to bear the cost of CA & NPV.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, जिला सागर, द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि एवं नेट प्रेजेन्ट वेल्यु की राशि जमा करने संबंधी बचन पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

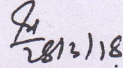
भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 28-03-18

पृ. क्रमांक/एफ-3/81/2016/10-11/12/948
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
 3. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
 4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश।
 5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, जिला सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल